छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 74/2006</u>

श्री भावीन जैन, डी–6, आम्रपाली सहकारी गृह निर्माण संस्था, पचपेढ़ी नाका, रायपुर (छत्तीसगढ़)	....	अपीलार्थी

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, तेलीबांधा, रायपुर (छत्तीसगढ़)	....	प्रतिअपीलार्थी
2. अपील प्राधिकारी, कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाऐं तेलीबांधा, रायपुर (छत्तीसगढ़)	....	प्रतिअपीलार्थी

//आदेश//

(दिनांक 05 सितम्बर 2006)

श्री भावीन जैन के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अन्तर्गत द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी ने अपील में यह दर्शाया है कि उसके द्वारा सूचना अधिकारी, कार्यालय, पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, रायपुर को तीन बिन्दुओं की जानकारी हेतु दिनांक 28.10.05 के द्वारा आवेदन पत्र मय शुल्क के प्रस्तुत किया था जिसमें कि पंजीयक सहकारी संस्थाऐं/उप/संयुक्त पंजीयक को प्राप्त शिकायतों की सूची, जांच प्रतिवेदन की प्रतियां, जांच प्रतिवेदनों पर कार्यवाही होने की संभावित अवधि, संपूर्ण नोटशीट एवं पत्राचार, संस्था में प्रभारी प्राधिकृत अधिकारियों के नाम आदि की जानकारी चाही थी। अपीलार्थी ने वांछित सूचनायें उपलब्ध नहीं कराये जाने पर प्रथम अपील पंजीयक सहकारी संस्थाऐं को प्रस्तुत की। प्रथम अपील में अपीलार्थी ने बतलाया कि उसने शिकायतों की सूची चाही थी, उसे उपलब्ध नहीं कराया गया। जांच प्रतिवेदनों पर कार्यवाहियों के संदर्भ में विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया तथा संस्था में नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों के संबंध में जानकारी नहीं दी। अपीलीय अधिकारी के द्वारा जन सूचना अधिकारी को दिनांक 17.02.06 तक वांछित सूचनाऐं प्रदान करने के निर्देश दिये गये। दिनांक 22.02.06 को जो सूचनाऐं दी गई, वे भी अपूर्ण थीं। अतः अपीलार्थी के द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

3/ अपीलार्थी ने द्वितीय अपील में बतलाया कि उसे जानकारी सही रूप में नहीं दी गई और न ही नस्ती का अवलोकन कराया गया। दो अलग–अलग कार्यालयों की सूची एक सी पाई गई। पंजीयक सहकारी संस्थाऐं दिनांक 01.11.2000 को अस्तित्व में आया तो सूची में दिनांक 01.09.1999 जानकारी किस आधार पर दी गई। अपीलार्थी के द्वारा जांच प्रतिवेदन में लिपिकीय त्रुटि का भी उल्लेख किया गया।

4/ प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, पंजीयक सहकारी संस्थाऐं एवं अपीलीय अधिकारी को नोटिस जारी किया गया। जन सूचना अधिकारी श्रीमती सावित्री भगत उपस्थित हुईं। उन्हें दिनांक 28.06.06 को निर्देश दिये गये कि अपीलार्थी को संबंधित रिकार्ड का निःशुल्क निरीक्षण कराया जावे तत्पश्चात उनसे स्पष्ट आवेदन लेकर सही रूप में जानकारी दी जावे। दिनांक 25.08.06 को जन सूचना अधिकारी ने बतलाया कि अपीलार्थी को दिनांक 12.08.06 को जानकारी भेजी जा चुकी है। दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेखों का भी अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के द्वारा तीन कार्यालयों में प्राप्त शिकायतों की सूची, शिकायतों की जांच प्रतिवेदन की प्रतियां, लंबित जांचे, जांच अधिकारी के नाम, जांच प्रतिवेदनों पर कार्यवाही, संबंधित नोटशीट, पत्राचार, आरोप पत्र संस्था में प्रभारी प्राधिकृत अधिकारियों के नाम, नियुक्ति आदेशों की प्रतियां, उनके कार्यकाल की अनियमितताऐं आदि की विस्तृत जानकारी चाही है। अपीलार्थी ने किसी अवधि विशेष अथवा किसी अधिकारी विशेष की शिकायत अथवा जांच प्रतिवेदन का उल्लेख नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी संपूर्ण प्रदेश की सहकारी संस्थाओं से संबंधित शिकायतों से संबंधित कार्यवाहियां चाह रहा है। आयोग के द्वारा अपीलार्थी को रिकार्ड देखकर स्पष्ट रूप से क्या जानकारी चाहिए, इसे स्पष्ट करने के लिए निर्देश दिए गए। अपीलार्थी को जन सूचना अधिकारी, पंजीयक सहकारी संस्थाऐं के द्वारा 88 पृष्ठों की जानकारी निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपीलार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह स्पष्ट रूप से जानकारी किस अवधि की एवं क्या जानकारी चाहिए, इसे स्पष्ट करे। तीन कार्यालयों की जानकारी एक ही कार्यालय के सूचना अधिकारी से प्राप्त करना न्यायसंगत नहीं है जबकि उन कार्यालयों के सूचना अधिकारी अलग–अलग हैं।

5/ सूचना अधिकारी के द्वारा अपने जवाब में बतलाया गया कि अपीलार्थी के द्वारा जो भी जानकारी चाही गई वह नियमानुसार उसको दी गई है। यह कहना सही नहीं है कि सूचना अपूर्ण एवं भ्रामक है। अपीलार्थी को दिनांक 29.12.05 के प्त्र द्वारा निःशुल्क जानकारी भी दी गई। अपीलार्थी के द्वारा विस्तृत जानकारी चाही गई थी जिसे अन्य कार्यालयों से प्राप्त कर अपीलार्थी को दी गई। सूचना अधिकारी ने बहस के समय यह बतलाया कि यद्यपि इन कार्यालयों के सूचना अधिकारी अलग–अलग थे फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम का सम्मान करते हुए अपीलार्थी को जानकारी अन्य कार्यालयों से बुलाकर दी गई। अपीलार्थी के द्वारा अर्थदण्ड दिये जाने के संबंध में सूचना अधिकारी ने अपने जवाब में अर्थदण्ड का कोई औचित्य नहीं बतलाया है।

6/ अपीलार्थी को सूचना अधिकारी के द्वारा पर्याप्त सूचनाऐं उपलब्ध करा दी गई हैं यदि अपीलार्थी कोई विशिष्ट सूचना और प्राप्त करना चाहता है तो उसे स्पष्ट रूप से किस अवधि की एवं किस शिकायत की जांच प्रतिवेदन अथवा अन्य जानकारी लेना चाहता है, इसे स्पष्ट रूप से आवेदन पत्र में अंकित कर विधिवत् आवेदन शुल्क देकर संबंधित सूचना अधिकारी को आवेदन करना चाहिए। अपीलार्थी ने दी गई जानकारी में वित्तीय त्रुटि की ओर ध्यान आकर्षित किया है । सूचना अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में सर्तकता के साथ कार्य करें ।

7/ उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि यह सिद्ध नहीं होता है कि सूचना अधिकारी ने द्वेषवश अथवा जानबुझकर सूचना उपलब्ध कराने में विलम्ब किया है अतः सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

अपीलार्थी की यह अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

की धारा–19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील दिनांक 9–3–2006 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत की। आवेदक के द्वारा यह अपील विशेष सचिव, छ.ग.शासन वाणिज्य उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग एवं प्रथम अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 4–3–2006 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई। आवेदक के द्वारा राज्य शासन को दो आवेदन पत्र दिये गये, जिसके अनुसार प्रथम आवेदन पत्र में टाटा स्टील के साथ किये गये एम.ओ.यू. की प्रति तथा संबंधित नस्ती के नोटशीट की प्रमाणित प्रति एवं द्वितीय आवेदन पत्र में एस.आर.स्टील के साथ राज्य शासन द्वारा किये गये एम.ओ.यू. की प्रति तथा संबंधित नस्ती के नोटशीट की प्रमाणित प्रति चाही गई। जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकार किया कि उक्त दोनों एम.ओ.यू. में यह शर्त रखी गई कि कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष की सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को जानकारी उपलब्ध नहीं करायेगा तथा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–2(F) में नस्ती में दी गई टीप को सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। अतः सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र अस्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध आवेदक ने प्रथम अपील विशेष सचिव, छ.ग.शासन वाणिज्य उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग को प्रस्तुत की। विशेष सचिव के द्वारा आदेश दिया गया कि प्रकरण में टाटा स्टील एवं एस.आर.स्टील से एम.ओ.यू. की प्रति देने के बारे में उनका अभिमत लिया जावे तथा फाईल नोटिंग के संबंध में भारत सरकार को संदर्भ किया जाकर जानकारी ली जावे कि फाईल नोटिंग की प्रति दी जा सकती है अथवा नहीं। इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील की।

आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया तथा प्रकरण में तृतीय पक्ष अर्थात् टाटा स्टील एवं एस.आर.स्टील भी संबंधित हैं उन्हें भी नोटिस दिया गया। दिनांक 6–7–2006 को टाटा स्टील की ओर से बताया गया कि उन्हें एम.ओ.यू. की प्रति देने में कोई आपत्ति नहीं है। शासन की ओर से भी श्री एस.आर.ब्राम्हणे, उप सचिव, छ.ग.शासन ने बताया कि टाटा एवं एस.आर.स्टील दोनों में एम.ओ.यू. की प्रति दिये जाने में अनापत्ति दे दी है।

मेरे द्वारा प्रकरण के संबंधित पक्षकारों को सुना गया। जन सूचना अधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग एवं टाटा स्टील तथा एस.आर.स्टील के साथ हुए एम.ओ.यू. की प्रति दिये जाने में कोई आपत्ति होना नहीं बतलाया। अतः इन दोनों कंपनियों के साथ राज्य शासन के साथ हुए एम.ओ.यू. की प्रति अपीलार्थी को प्रदान की जावे। राज्य शासन की ओर से बताया गया कि एम.ओ.यू. की प्रति अपीलार्थी को देने की कार्यवाही की जा रही है। जहां तक संबंधित नस्ती की नोटशीट की प्रति देने का संबंध है, राज्य शासन का अभिमत है कि भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग की वेबसाईट में सूचना की परिभाषा में

स्पष्ट किया गया है कि सूचना की परिभाषा में फाईल नोटिंग सम्मिलित नहीं है। अतः अपीलार्थी को संबंधित नस्तियों की प्रति नहीं दी जा सकती। अपीलार्थी की ओर से बताया गया कि मूल अधिनियम की धारा–2(F) में सूचना की परिभाषा में फाईल नोटिंग नहीं होने का कहीं उल्लेख नहीं है। अतः अपीलार्थी को फाईल नोटिंग की प्रति प्राप्त करने का अधिकार है।

अधिनियम की धारा–2 स्पष्ट है तथा उसमें सूचना की परिभाषा में फाईल पर हुई टीप को सम्मिलित नहीं किये जाने का उल्लेख नहीं है। अतः आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपीलार्थी को टाटा स्टील एवं एस.आर.स्टील दोनों के साथ हुए एम.ओ.यू. से संबंधित नस्ती की टीप की प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में तृतीय पक्ष भी सम्मिलित था और उसे भी सुना जाना आवश्यक था तथा वैधानिक बिन्दु के संबंध में सूचना अधिकारी को भ्रम की स्थिति थी। सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझकर अथवा द्वेषवश सूचना नहीं दिये जाने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है। अतः सूचना अधिकारी पर वांछित जानकारी प्रदान नहीं करने के संबंध में अर्थदण्ड किये जाने का औचित्य नहीं है।

सूचना अधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्धारित फीस की सूचना 07 दिन के अंदर दें एवं राशि अपीलार्थी के द्वारा जमा कराई जाने पर निर्धारित अवधि में अपीलार्थी को नियमानुसार राज्य शासन के द्वारा किये गये टाटा स्टील एवं एस.आर.स्टील के साथ किये गये एम.ओ.यू. की प्रतियां प्रदान करें साथ ही उक्त दोनों एम.ओ.यू. से संबंधित नस्तियों पर हुई नोटिंग की प्रतियां भी प्रदान की जावे।

अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त